न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

(1) प्रकरण संख्या 06/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00025

1. भूपेश पुत्र स्वर्गीय रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए-504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थित:–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 735 रकबा 2.9422 हे0, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री मनोज कुमार मंत्री के दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(2) प्रकरण संख्या 07/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00026

1. महेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए-504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 74 रकबा 6.70 हे0,में से 2.528 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(03) प्रकरण संख्या 8 / 2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020 / 00027

1. पदम कुमार उर्फ प्रदीप पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए-504 इन्द्रा विहार कोटा

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

जिला कलेक्टर
कोटा

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 81 रकबा 1.2224 हे0,ख0नं0 82 की 0.4560, व खसरा नम्बर 84 की में से 0.1858 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(4) प्रकरण संख्या 09/2020 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0 2020/00028

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 रघुनन्दन
2. रमेशचंद पुत्र स्वर्गीय रघुनन्दन
3. सुरेशचंद पुत्र स्वर्गीय रघुनन्दन
4. हरिओम पुत्र स्व0 रघुनन्दन
5. रामप्यारी बेवा रघुनन्दन जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए—504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी—5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम—1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम—2013

उपस्थितः—

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 694 की 0.65 हे0, 719 0.09 हे0, ख0नं0 715 की 0.61 हे0 व खसरा नम्बर 91 की 0.2237 भूमि व राष्ट्रीय

जिला कलेक्टर
कोटा

राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(5) प्रकरण संख्या 10/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00029

1. अमन कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण
2. श्रीमति कान्ता बाई बेवा बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासीगण मकान नम्बर–5–के–14 महावीर नगर तृतीय कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 736 की 1.90 हे0, 94 का कुछ हिस्सा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

जिला कलेक्टर
कोटा

(06) प्रकरण संख्या 11/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00030

1. पुष्पा कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–
1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 709 की 1.0164 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(07) प्रकरण संख्या 12/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00031

1. हेमन्त पुत्र स्वर्गीय रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 878, श्रीनाथपुरम सी–ब्लॉक, कोटा राज0

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–
1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 80 की 0.2900 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(08) प्रकरण संख्या 13/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00032

1. (घनश्याम) हीरालाल उर्फ घनश्याम पुत्र स्व0 मुकुट बिहारी जाति महाजन निवासी ग्राम कल्याणपुरा हाल निवासी मकान नम्बर–136 दादाबाड़ी विस्तार कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–
1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

जिला कलेक्टर
कोटा

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 55 की 1.8586 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(9) प्रकरण संख्या 14 / 2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020 / 00033

गोपाल लाल मुतबन्ना पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए—504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी—5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम—1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम—2013

उपस्थितः—

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 737 की 3.21 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

जिला कलेक्टर
कोटा

(10) प्रकरण संख्या 15/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00034

1. मेघराज पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़
2. बृजराज पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़
   निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 721 की 2.23 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(11) प्रकरण संख्या 016/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00035

1. रामपाल पुत्र रघुनाथ जाति धाकड
2. शिवनारायण पुत्र रघुनाथ जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम गुडला तहसील केशोराय पाटन जिला बून्दी
3. गोपाल पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड
4. रामदेव पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 65 की 1.62 हे0, व ख0नं0 66 की 0.7981हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(12) **प्रकरण संख्या 17/2020 (प्रार्थना पत्र)**
जीसीएमएस नं0 2020/00036

1. जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन
2. रामेश्वर पुत्र राधाकिशन
3. मथूरी बाई पुत्री राधाकिशन जाति धाकड निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

जिला कलेक्टर
कोटा

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 707 की 1.1829 हे0, 708 की 0.6831 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(13) प्रकरण संख्या 18/2020 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2020/00037

1. मोहनलाल पुत्र प्रभू जाति धाकड़
2. बद्रीलाल पुत्र प्रभू जाति धाकड
3. सोनू पुत्र रामप्रताप
4. काली बाई पुत्री रामप्रताप
   निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए—504 इन्द्रा विहार कोटा

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी—5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम—1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम—2013

उपस्थितः—

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः— 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148—एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 690, 716 व 723 की 1.7885 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(14) **प्रकरण संख्या 19/2020 (प्रार्थना पत्र)**
जीसीएमएस नं0 2020/00039

1. बृजराज पुत्र नन्दलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——**रेस्पोडेन्ट**

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 697 की 1.3881 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(15) **प्रकरण संख्या 20/2020 (प्रार्थना पत्र)**
जीसीएमएस नं0 2020/00008

1. पुष्पा कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

——**रेस्पोडेन्ट**

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 201 की 0.2685 हे0, व 203 की 0.1932 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

(16) **प्रकरण संख्या 21/2020 (प्रार्थना पत्र)**
जीसीएमएस नं0 2020/00040

1. राजेश कुमार पुत्र (घनश्याम) हीरालाल उर्फ घनश्याम जाति महाजन निवासी ग्राम कल्याणपुरा हाल निवासी मकान नम्बर–136, दादाबाडी विस्तार कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा
2. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये महाप्रबन्धक (त0क0) प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना कियान्वयन ईकाई ए–504 इन्द्रा विहार कोटा

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार मन्त्री, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

दिनांकः– 21.6.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा

जिला कलेक्टर
कोटा

एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 738 की 4.2382 हे0, भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु अवाप्त की गई तथा अवार्ड आदेश दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2020 को श्री मनोज कुमार मंत्री के प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से एडवोकेट श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित ।

1. उपरोक्त प्रकरण सं0 6/2020 लगायत 21/2020 कुल 16 प्रकरण एक ही अवार्ड से सम्बन्धित है तथा सभी प्रकरणों की विषयवस्तु एक समान होने से सभी प्रकरणों में एक साथ ही बहस सुनी जाकर एकसाथ ही निर्णय किया जा रहा है ।
2. वकील प्रार्थी द्वारा सभी प्रकरणों में एक ही लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग–148 एन दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के निमार्ण के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी, दीगोद को दिनांक 5.9.2018 को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया । उक्त अधिनिर्णय आदेश दिनांक 15.7.2019 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत तथा प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अधिनिर्णय आदेश दिनांक 15.7.2019 /14.8.2019 पारित किया गया । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर दिनांक 01.01.2014 से लागू है । केन्द्र सरकार के सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 दिनांक 5.6.2018 व 21.8.2018 द्वारा ग्राम कल्याणपुरा एवं अन्य गांवों की भूमियों को अवाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी दीगोद को सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया । प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गई जो निरस्त की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सोंपी गई । धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 22.3.2019 को जारी की गई, उक्त अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना में वर्णित भूमि ग्राम कल्याणपुरा सभी विलंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो चुकी है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम आदेश दिनांक 15.7.2019 /14.8.2019 पारित करते समय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 को अनदेखा एवं मनमाना अधिनिर्णय आदेश पारित किया है जो संशोधित किये जाने योग्य है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवाप्ति कार्यवाही से पूर्व धारा 4 "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार समाजिक समाघात (Social Impact Assessment study) तैयार किया जाना आवश्यक था इससे यह पता चलता कि भूमि अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है या नहीं तथा कृषकों के हितों पर पडने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत व्याख्या होती । इस सम्बन्ध में अधिनिर्णय दिनांक 15.7.2019 /14.08.2019 में एक शब्द भी वर्णन नहीं है और ना ही धारा 5 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण के लोक सुनवाई का वर्णन है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय पारित करते समय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 की व्याख्या त्रुटिपूर्ण रीति से की गई, जिससे प्रार्थी की प्रतिकर की रकम कम हुई है । आदेश में परियोजना में अवाप्त की जाने वाली भूमि की शहरी क्षैत्र से दूरी किस रीति नीति से मापी है अंकन नहीं किया है, पूरे अधिनिर्णय में यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि परियोजना में अवाप्त की गई भूमि ग्राम कल्याणपुरा की दूरी किस आधार पर माप कर अधिनिर्णय आदेश में अंकन किया गया । ग्राम

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

कल्याणपुरा की अवाप्तशुदा भूमि की दूरी की शहरी क्षैत्र से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक व 20 किलोमीटर तक मानने के सम्बन्ध में उक्त अधिनिर्णय में कोई दस्तावेज /आधार नहीं है । प्रार्थीगण के साथी कृषक भूपेश द्वारा इस सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निमार्ण विभाग जिला खण्ड कोटा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर "ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद से कैथून नगर पालिका क्षैत्र के कम में" प्रस्तुत किया जिसमें कैथून नगर पालिका से ग्राम कल्याणपुरा की दूरी को 23.50 किलोमीटर बताया जो कि 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी है और उक्त पत्र कमांक 38 दिनांक 6.1.2020 के आधार पर प्रार्थी का गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा 1.75 होगा ना कि 1.50 होगा । इस कारण अधिनिर्णय आदेश संशोधनीय है । **ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना कमांक/का0आ0 425 (अ) दिनांक 9.2.2016** "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 की उपधारा (2) के साथ पठत प्रथम अनुसूची की कम संख्या–2 के कॉलम संख्या –3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षैत्र में जिस गुणक द्वारा बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है वह गुणक 2.00 होगा । उक्त अधिसूचना में Shall शब्द का प्रयोग किया है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा रोड प्रयोजनार्थ भूमि को छोडकर एमिनिटिज सेन्टर हेतु अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा भी कृषि भूमि की दर से गणना कर अवार्ड अधिनिर्णय आदेश पारित किया है जबकि एमिनिटिज सेन्टर हेतु अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा वाणिज्यक दर से गणना किया जाना चाहिये था क्योंकि उक्त भूमि पर भारत सरकार द्वारा वाणिज्यक गतिविधियां निजी कम्पनियें के माध्यम से संचालित की जावेगी । उक्त कारण से एमिनिटिज सेन्टर बनाने हेतु अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि की गणना हेतु राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 9.3.2015 अधिसूचना सं0 F.4(4)FDTax/2015-2016 के अनुसार की जानी चाहिये थी व एमिनिटी सेन्टर हेतु अवाप्त की गई भूमि में से 100 मीटर इंटू 300 मीटर भूमि अवाप्तशुदा खातेदारों को आउटलेट व्यापार हस्तशिल्प व सुविधाओं के विस्तार हेतु दी जानी चाहिये । अतः उक्त अधिनिर्णय दिनांक 14.8.2019 /15.7.2019 को लिखित बिन्दुओं के आधार पर संशोधित करने का आदेश प्रदान करें ।

3. अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस में कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) के अन्तर्गत की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306(अ) दिनांक 5.6.2018व अधिसूचना संख्या का.आ. 4110(अ) दिनांक 21.8.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दीगोद को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु सक्ष्म प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया, तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–क की अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्या का.आ.4327 (अ)दिनांक 5.9.2018 को जारी की गई एवं उक्त अधिसूचना को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–क के अन्तर्गत दधैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 21.9.2018 को प्रकाशित करवाया गया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–ग के अन्तर्गत अवाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों को 21 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) दीगोद को प्रस्तुत करने का समय दिय गया एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) दीगोद द्वारा आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण किया गया तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1056 की धारा 3–घ के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 1418 (अ) दिनांक 22.3.2019 का प्रकाशन भारत का राजपत्र में किया गया तत्पश्चात उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य एवं निमार्ण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3

जिला कलेक्टर
कोटा

जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीसलसी दर के आधार पर की गई है । अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है । अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सकें । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य है ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावलीयों का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 6/2020 लगायत 21/2020 कुल 16 प्रकरण अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ग्राम कल्याणपुरा तहसील दीगोद में प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश अनुसार भूमि का मुआवजा 3ए के समय प्रचलित डीएलसी दर से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है तथा सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है एवं प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही मुआवजा निर्धारण किया गया है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत सभी आपत्तियों का विधिवत निस्तारण किया गया । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत तथ्य एवं कारण पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 21.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा